राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–मुसप्र/2019/ 1074 दिनांकः– 11/2/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड चर्तुथ/उप आवासन आयुक्त वृत्त–प्रथम/अतिरिक्त मुख्य अभियंतमा प्रथम जयपुर के अधीन प्रताप नगर सागानेर जयपुर में आवास संख्या 53/21 व 53/22 के मध्य स्थित अनिस्तारित गली का निस्तारण नीलामी के माध्यम अनुशंषा के आधार पर निर्देशानुसार आवास संख्या 53/21 व 53/22 के मध्य स्थित गली का निस्तारण उपरोक्त दोनो आवासो के आवटियों (लिमिटेड ऑक्शन) के मध्य नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है,

संबधित उप आवासन आयुक्त एंव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम उक्त गली का निस्तारण निम्न शर्तो पर किया जाना सुनिश्चित करें:

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लेट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी येाग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त , न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06. 2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फलेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फलेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन /शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 59/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

नोटः– दोनो आवासों के आवंटियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आवेदक/व्यक्ति को नीलामी में शामिल नहीं किया जावें।

ह0

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता –प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा पबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0 ,वृत–प्रथम जयपुर ।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–चर्तुथ ,रा0 आ0म0 जयपुर।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वैबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रंबंधक